

न्यूज़ डुडे

आयात में गिरावट के कारण उर्वरक के भंडारों में कमी हुई

- **उर्वरक विभाग** के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) तथा अन्य प्रमुख गैर-यूरिया उर्वरकों के भंडार में गिरावट आई है।
 - भंडार में मौजूदा कमी आगामी रबी सीजन में इनकी उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करती है।
 - **अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी** के कारण आयात में गिरावट आई है।
 - इसके अतिरिक्त, उर्वरकों की बिक्री हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आयात को हतोत्साहित करता है, क्योंकि इससे कंपनियों को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है।
- **सरकार द्वारा घोषित उर्वरक नीतियां**
 - **यूरिया के लिए लागू नई मूल्य निर्धारण योजना**— इसके तहत निर्माताओं को उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य/MRP के मध्य के अंतर का भुगतान सब्सिडी/रियायत के रूप में किया जाता है।
 - **नीम लेपित यूरिया नीति (Neem Coated Urea Policy), 2015** के तहत घरेलू उर्वरक कंपनियों के लिए अपने यूरिया उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत "नीम लेपित" करना अनिवार्य कर दिया गया है।
 - **फॉस्फेटिक और पोटाश के लिए-पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy: NBS) नीति, 2010**— इसके तहत सरकार उर्वरक में निहित विभिन्न वृहद/ सूक्ष्म पोषक तत्वों के भार के आधार पर वार्षिक सब्सिडी तय करती है।
 - **सिटी कम्पोस्ट नीति, 2016**— इस नीति के अंतर्गत शहरी कम्पोस्ट के विपणन एवं प्रचार-प्रसार के लिए उर्वरक कंपनियों को 1,500 रुपये प्रति टन सिटी कम्पोस्ट की सहायता का प्रावधान किया गया है।



- वित्त वर्ष 2020 में भारत की उर्वरक खपत लगभग 60 मिलियन टन थी, जिसमें से 55 प्रतिशत यूरिया था। इसमें वित्त वर्ष 2021 के दौरान 5 मिलियन टन की बढ़ोतरी होना अपेक्षित है।
 - मार्च 2021 तक कुल घरेलू उर्वरक उत्पादन 37 मिलियन टन था। इसमें से यूरिया का उत्पादन 21 मिलियन टन था तथा शेष 23 मिलियन टन का आयात किया गया था।

रिकॉर्ड 71 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 'टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022' में स्थान प्राप्त किया है

- यह रैंकिंग में विगत 63 वर्षों में अर्जित एक महत्वपूर्ण सुधार है। परन्तु इनमें से किसी ने भी शीर्ष 300 की सूची में स्थान प्राप्त नहीं किया है।
 - भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science), बेंगलुरु भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है।
 - प्रतिष्ठा, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सह-लेखकत्व सहित प्रकाशन एवं साइटेशन प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां भारत ने प्रगति की है।
- **भारत का उच्चतर शिक्षा क्षेत्र**
 - 51,649 संस्थानों और 37.6 मिलियन छात्रों के साथ, भारत विश्व की सर्वाधिक विशाल उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक है।
 - भारत का लक्ष्य मौजूदा 27.1% के सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 50% करना है।
 - यह क्षेत्र विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है, जैसे—
 - संस्थानों की अवसंरचना की निम्न स्तरीय गुणवत्ता।
 - केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं।
 - कुल शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.1 प्रतिशत है। इसमें से केवल 40 प्रतिशत राशि ही उच्चतर शिक्षा के लिए आवंटित की जाती है।
- **हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदम**
 - वर्ष 2019-2024 के दौरान उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme: EQUIP) आरंभ किया गया है।
 - वर्ष 2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (Revitalising Infrastructure and Systems in Education: RISE) पहल को संचालित किया जा रहा है।
 - सामान्य विज्ञान में अनुसंधान परियोजनाओं हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संकाय के वित्त पोषण के लिए विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (Scheme for Transformational and Advanced Research in Science: STARS) आरंभ की गई है।



○ अन्य सरकारी कदम

- एक वार्षिक वेब आधारित अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education: AISHE) आरंभ किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता व प्रत्यायन से संबंधित विनियम जारी करता है।
- उन्नत भारत अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) बाधाओं से ग्रस्त है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है

- PMFBY एक व्यापक फसल बीमा योजना है। इसे किसानों की कृषि संबंधी अनिश्चितताओं का निवारण करने हेतु आरंभ किया गया था।
 - इस योजना को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसानों में असंतोष, राज्य सरकारों द्वारा योजना से बाहर निकलना और बीमा कंपनियों को ब्याज की क्षति आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- PMFBY के कार्यान्वयन में चुनौतियां
 - किसानों को भुगतान में विलंब— बीमा कंपनियां किसानों को समय पर भुगतान नहीं करती हैं। साथ ही, राज्य सरकारें भी समय पर अपने हिस्से का प्रीमियम जारी नहीं करती हैं।
 - बीमा कंपनियां एकत्र किए गए प्रीमियम की तुलना में किसानों को कम प्रतिपूर्ति प्रदान करती हैं।
 - प्रशासनिक चुनौतियां
 - भले ही आगामी सीजन की फसल का समय आ जाए, परंतु राज्यों द्वारा विगत सीजन के उपज के आंकड़ों को समय पर अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता है। ज्ञातव्य है कि ये आंकड़ें ही किसानों के दावों का समर्थन करने वाले प्रमुख मानदंड हैं।
 - भूमि का सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
 - उत्तर-पूर्व के राज्यों को बीमा कंपनियों द्वारा अभिरुचि का अभाव और प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - तकनीकी बाधाएं— वर्षा और अन्य मौसम की स्थिति का विशुद्ध रूप से आकलन तथा भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

- ध्यातव्य है कि PMFBY के तहत, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और नकदी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है।
 - इससे पूर्व, वर्ष 2020 तक शेष प्रीमियम को केंद्र और राज्यों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाता था।
 - वर्तमान में, केंद्र सरकार का योगदान असंचित फसलों के लिए 30% और संचित फसलों के लिए 25% है।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य के मध्य सब्सिडी का हिस्सा 90:10 है।

‘एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन (IRBM) में क्षमता निर्माण के लिए नदी पारिस्थितिकी तंत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग’ पर समझौता ज्ञापन

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन (IRBM) में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान (South Asian Institute for Advanced Research and Development: SAIARD) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत के जल क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग—
 - जल क्षेत्र के लिए भारतीय सुदूर संवेदन पोर्टल।
 - भुवन-वाटर बॉडीज इंफो सिस्टम (Bhuvan-WBIS): सेंसर से व्युत्पन्न जल निकायों की सूचनाओं का सतही जल निकायों के स्थानिक मानचित्र निर्मित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (National Information System for Climate and Environmental Studies: NICES): राष्ट्रीय स्तर पर सटीक व दीर्घकालिक जलवायु डेटाबेस संतति प्रदान करता है।
 - इंडिया-वाटर रिसोर्स इंफो सिस्टम (India-WRIS): इसमें डैशबोर्ड के माध्यम से जल संसाधनों से संबंधित सूचनाओं के साथ-साथ जल संसाधन परियोजनाओं पर मॉड्यूल और भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System: GIS) लेयर संपादन हेतु उपकरण शामिल हैं।
 - जल जीवन मिशन: जलापूर्ति व सीवेज अवसंरचना का GIS मानचित्रण आदि।
 - नमामि गंगे: आधार मानचित्र और 3डी मॉडल तैयार करना।
 - बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project-DRIP): बांध स्थल के चयन तथा प्रगति की निगरानी के लिए सुदूर संवेदन एवं GIS तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
 - राष्ट्रीय नदी अंतर्गोष्ठन परियोजना (National River Linking Project-NRLP): मानसून तथा गैर-मानसून मौसम के दौरान नदियों की विशेषताओं को समझना।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में

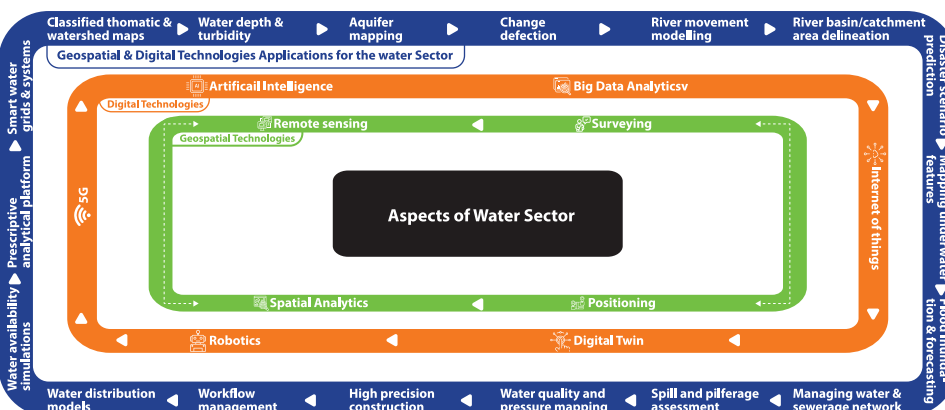
- यह किसी लक्षित ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने तथा उसे किसी विशिष्ट स्थान पर संदर्भित करने की अनुमति प्रदान करती है।
- यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), सुदूर संवेदन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आदि का उपयोग करके पृथ्वी की वास्तविक भौगोलिक जानकारी का अध्ययन करने में सहायता करती है।

सरकार ने उपयोगकर्ताओं को मांग बढ़ने पर कोयले का आयात करने का परामर्श दिया है

- विश्व का पाँचवा सर्वाधिक विशाल कोयला भंडार तथा दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के बावजूद भारत ने उपयोगकर्ताओं से कोयले का आयात करने का सुझाव दिया है। उत्तरदायी कारक यह है कि विद्युत की मांग में वृद्धि के कारण विभिन्न विद्युत संयंत्र ईंधन की कमी के तहत बंद होने की कगार पर हैं।
 - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि कोयले से संचालित 135 संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास एक सप्ताह से भी कम समय के लिए कोयले की आपूर्ति शेष है।
 - कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत का भारत के विद्युत उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान है।
- कोयला क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलें
 - निजी क्षेत्र में भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 - व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 [Mineral Laws (Amendment) Act, 2020] प्रस्तुत किया गया है।
 - कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम [Coal Mines (Special Provisions) Act], 2015 पारदर्शी नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम बनाता है।
 - आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs: CCEA) ने एक नई कोयला लिसेंस नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत व्युत्क्रम नीलामी के माध्यम से विद्युत संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
 - कोयला गुणवत्ता निगरानी हेतु उत्तम/UTTAM (पारदर्शिता लाने के लिए खनन से प्राप्त कोयले का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन) एप्लीकेशन लॉन्च की गई है।

भारत में कोयला क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- भूमि, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति में विलंब।
- परिचालन और रखरखाव की उच्च लागत।
- भारतीय कोयले की गुणवत्ता ऐसी है कि इसमें सिलिका और एलुमिना (स्फटिकमृदा) की अधिक मात्रा होती है।



अन्य सुर्खियाँ

 विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights (SDR))	○ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF) ने भारत को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार (SDR) का आवंटन किया है। ○ SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के लिए एक पूरक के रूप में सृजित किया गया था। ➤ SDR की कीमत का निर्धारण SDR बास्केट में शामिल पांच मुद्राओं के आधार पर किया जाता है: जिनमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेंमिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। ➤ यह न तो कोई मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है। ➤ बल्कि, यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है।
 पीयर टू पीयर लेंडिंग (Peer to Peer (P2P) lending)	○ भारत में P2P निवेश उद्योग के अनुमान के अनुसार यह क्षेत्र वर्ष 2023 तक बढ़कर 5 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ○ P2P एक ऑनलाइन ढांचा है। यह मध्यस्थों की उपस्थिति के बिना ऋणदाताओं और ऋणग्राहियों को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। ➤ यह ऋणग्राहियों को कम ब्याज दर की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, कम उपरिलागत व्यय के कारण निवेशकों को उच्च प्रतिफल उपलब्ध करवाता है। ➤ भारत में P2P उत्पादों को एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में RBI द्वारा विनियमित किया जाता है।
 जैपेड अभ्यास (ZAPAD Exercise)	○ यह रूसी सशस्त्र बलों द्वारा संचालित किए जाने वाले थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है। इस सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से आतंकरोधी ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ➤ अभ्यास के लिए रूस द्वारा 17 देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले 9 देश और पर्यवेक्षक के रूप में 8 देश शामिल होंगे। ○ भारत प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले देशों में से एक है।
 रैप्टर्स (शिकारी पक्षी) (Raptors (Bird of Prey))	○ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) और बर्डलाइफ इंटरनेशनल के नए विश्लेषण के अनुसार, विश्व भर में शिकारी पक्षियों की लगभग 160 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। ➤ पर्यावास क्षति, प्रदूषण, मानव-वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन आदि उनके संकटग्रस्त होने के कारणों में शामिल हैं। ➤ इंडोनेशिया में रैप्टर प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। इसके उपरांत कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू का स्थान है। ○ भारत ने अफ्रीका और यूरेशिया में प्रवासी शिकारी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक रैप्टर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें शिकारी पक्षियों की 76 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 50 से अधिक भारत में पाई जाती हैं। इनमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्ध भी शामिल है। ➤ हालांकि, यह समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
 विश्व स्तर पर वृक्षों की स्थिति, 2021 (State of the World's Trees 2021)	○ इसे लंदन स्थित बोटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल (BGCI) द्वारा जारी किया गया है। ➤ BGCI यूनाइटेड किंगडम की एक स्वायत्त परोपकारी संस्था है। इसे वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। यह पादप संरक्षण के लिए, विश्व के वनस्पति उद्यानों को एक वैश्विक तंत्र से जोड़ने हेतु कार्यरत है। ➤ यह एक सदस्यता आधारित संगठन है, जो विश्व के 100 से अधिक देशों में स्थित वनस्पति उद्यानों का प्रतिनिधित्व करता है। ○ इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 18% वृक्ष प्रजातियों के समक्ष विलुप्त हो जाने खतरा विद्यमान है। भारत 650 स्थानिक वृक्ष प्रजातियों की स्थली है। उल्लेखनीय है कि ये प्रजातियां अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं।
 साथ पहल	○ हाल ही में, 'साथ' पहल का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया था। ➤ यह स्वयं सहायता समूह (Self Help Group: SHGs) से संबद्ध महिलाओं के लिए आरंभ किया गया एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम है। ➤ यह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा और इन उत्पादों को बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। ➤ साथ ही, इन महिलाओं को मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। ○ इस पहल का उद्देश्य कौशल योग्यता प्रदान करना और महिलाओं के ऐसे व्यवसायों को उच्च स्तर के उद्यमों में परिवर्तित करना है।



○ ओरांग राष्ट्रीय उद्यान

- असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (Orang National Park) कर दिया है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
- इसे वर्ष 1985 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था।
- इसे मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।



○ चिल्का झील

- ओडिशा तट पर अवस्थित 'चिल्का झील' (Chilika Lake) में इरावदी डॉल्फिन मृत पाई गई हैं।
- चिल्का एशिया में लवणीय जल की सबसे बड़ी झील है तथा यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून भी है।
- चिल्का झील वर्ष 1981 के रामसर अभिसमय के तहत नामित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि है।
- इरावदी डॉल्फिन- एंडेंजर्ड (IUCN रेड लिस्ट)।



Clarifications for News Today dated 1st Sept, 2021.

1) News related to UNSC resolution, 2nd Bullet, 3rd Sub-point- The grouping being referred to here is Taliban.

2) News related to Solar power, under 3rd Bullet related to ISA, the membership was initially limited to countries within the tropics but later it was made open to all UN member countries.



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



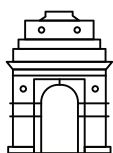
/Vision_IAS



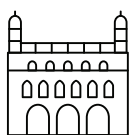
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



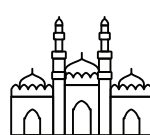
जयपुर



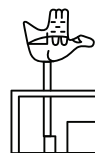
हैदराबाद



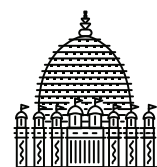
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी